कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

कमाक एफ 3(1) प्रमुवस / लेखा / बजट / 2016-17 / 9008-12 दिनांक : 23 · 1 · 17

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास), राजस्थान, जयपुर। अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर। मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर। मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर। उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, कार्यालय प्रमुवसं, राजस्थान, जयपुर।

> विषय:- वित्त विभाग द्वारा सर्विस प्रोवाईडर/प्लेसमेंट ऐजन्सी/कान्ट्रेक्टर आदि से ली जा रही सेवाओं के संबंध में संलग्न प्रोफार्मा में सूचना संकलित कर भिजवाने के संबंध में।

> प्रसंग:- शासन उप सचिव, वन विभाग के पत्र क्रमांक प.7(13)वन/2016 जयपुर दिनांक 09.12.2016, प्रमुख शासन सचिव, वित्त के पत्र क्रमांक प.9(55)वित्त/नियम/ 2005 दिनांक 23.11.2016 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 3(1) प्रमुवस/लेखा/ बजट/2016-17/8474-77 दिनांक 06.01.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के पत्र की फोटो प्रति संलग्न कर लेख है कि पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पूर्व पत्र कमांक एफ 3(1) प्रमुवस/लेखा/बजट/2016—17/8474—77 दिनांक 06.01.2017 सात दिवस में भिजवाने के लिए लिखा गया था। लेकिन यह सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त सूचना के कम में पुनः प्रमुख शासन सचिव, वित्त के पत्र की फोटो प्रति एवं प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। जिसमें आयोजना भिन्न मद 2406—01—001—01—00 एवं 2406—01—001—02—00 तथा 2406—02—110—03—00, 41—संविदा व्यय एवं 62—कम्प्यूटराईजेशन तथा आयोजना भिन्न के अन्य मदों में यदि ऐसे व्यय होतो तद्सम्बन्धी व्यय की सूचना संलग्न प्रपत्र में इस कार्यालय को आज ही विभाग की मेल आई—डी faforest144@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करे। जिससे सूचना संकलित कर राज्य सरकार को भिजवायी जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्रथमिकता देवें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय, १५०० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम अनुभाग)

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा एकलपीठ याचिका संख्या 372/2013 अनोख बाई व अन्य (1) बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.08.2016 का सार भाग निम्नानुसार है :—

"The Principal Secretary, Finance has agreed to call for the data from all the departments to show as to how much amount has been paid to the placement agencies and, out of it, how much amount goes to the workmen/employees. It is to find out as to how much public exchequer is incurred on piacement agencies. If the payment to the employees is not made at the rate of minimum wages then liability may come on the State.

In view of above, it is directed that under the chairmanship of the Principal Secretary, Finance, a Committee should examine all the related issues. The Commissioner, Labour would be part of the Committee to make suggestions apart from any other expert. Every Department would give required data and to review the system if it is affecting the public exchequer, The review may further minimize the litigation which is mounting as otherwise avoidable. Due care would be taken that while payment is made in favour of the employees, it should not be at the rate lesser than the Minimum Wages. The Government would be expected to evolve such a mechanism which may not hit by the Service Rules and, at the same time, the administration remain effective and minimize the litigation and burden on the public exchequer.

Learned Additional Advocate Generals Mr. GS Gill and Mr. Anurag Sharma, appearing for respective Departments, whould be part of the committee to advise on the legal issues and would make their suggestions as to how the litigation can be minimised so as the burden on public exchequer. The litigation against the government, at times, effects their administration also thus efforts of the Court is to reduced litigation and to avoid wastage of public exchequer.

Let above exercise be undertaken by the committee within period of two months from the date of receipt of copy of this order.

A copy of this order be given to learned Additional Advocate Generals Mr. GS Gill and Mr. Anurag Sharma.

List these petitions on 18th October, 2016 along with SB Civil Writ Petitions No. 17100/2015, 9188/2016, 8600/2016, 7289/2016, 7475/2016 and 4493/2016.

Till the next date, interim order dated 3.8.2016 to continue. "

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.8.2016 में प्रत्येक विभाग से यह अपेक्षित है कि यह सूचना उपलब्ध कराये कि उनके स्तर से सर्विस प्रोवाईडर/प्लेसमेंट एजेन्सी, वान्ट्रेक्टर के माध्यम से कितना भुगतान किया जा रहा है और यह राजकीय निधि पर कितना प्रभाव डाल रहा है।

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम अनुभाग)

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर द्वारा एकलपीठ याचिका संख्या 372/2013 अनोख बाई व अन्य (1) बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.08.2016 की पालना में प्रत्येक विभाग से यह अपेक्षित था कि यह सूचना उपलब्ध कराये कि उनके स्तर से सर्विस प्रोवाईडर/प्लेसमेंट एजेन्सी/कान्ट्रेक्टर के माध्यम से कितना भुगतान किया जा रहा है और यह राजकीय निधि पर कितना प्रभाव डाल रहा है।

इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव को अ.शा.टीप. प 9(55)वित्त / नियम / 2005 दिनांक 01.09.2016 से यह अनुरोध किया गया था कि वह अपने अधीनस्थ समस्त विभागों से उनके द्वारा सर्विस प्रोवाईडर / प्लेसमेंट ऐजन्सी / कान्ट्रेक्टर आदि से ली जा रही सेवाओं के संबंध में संलग्न प्रोफार्मा में वित्तीय वर्ष 2015—16 एवं वर्ष 2016—17 के अप्रेल, 2016 से जुलाई, 2016 तक की सूचना संकलित कर हर परिस्थिति में दिनांक 13.9.2016 तक वित्त विभाग में भिजवाना सुनिश्चित करें। यह सूचना बजटमद वार अलग अलग तैयार की जाये तथा विभागाध्यक्ष द्वारा उपरोक्तानुसार भेजे जानी वाली नूचना के साथ कार्यालय अध्यक्षों द्वारा भेजी गई सूचना की प्रतियाँ भी संलग्न की जाये। विभागाध्यक्ष को सूचना प्रेषित करते समय यह स्पष्ट उल्लेख कराना चाहिए कि सेवा प्रदाता / प्लेसमेंट एजेंसी / कान्ट्रेक्टर द्वारा रखे गये कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी का नियमित भुगतान कैसे सुनिश्चत किया जा रहा है।

तत्पश्चात अ.शा.टीप. प. 9(55)वित्त / नियम / 2005 दिनांक 19.09.2016 एवं 27.9.2016 से सूचना चाही गयी परन्तु आदिनांक तक कुछ ही विभागों से सूचना प्राप्त हुयी है जो

गंभीर स्थिति है।

अतः पुनः अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए सलग्न अ.शा.टीप दिनांक 1.9.2016 के संदर्भ से निर्धारित प्रपत्र में चाही गयी सूचना दिनांक 2.9.11.2016 तक हर परिस्थिति में भिजवाना सुनिश्चित करावें। सेवा प्रदाता एजेंसी/क्लेसमेंट एजेंसी/कान्ट्रेक्टर के माध्यम से जो सेवाएं ली जा रही है उनसे सबंधित सूचना के साथ माननीय न्यायालय में न्यूनतम मजदूरी से सबंधित लंबित एवं निस्तारित किये गये प्रकरण जिनमें विभागीय स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है से सबंधित समस्त विवरण भी उल्लेखिट किया जावे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

सलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(प्रेम सिंह मेहरा) 33/11/13 प्रमुख शासन सचिव, वित्त

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव क्रमांक प. 9(55) वित्त/नियम/2005

दिनांक : 23 NOV 2016

(29.11.16)

वित्त विभाग द्वारा सर्विस प्रोवाईडर के माध्यम से जोब वर्क बेसिस पर कार्य कराये जाने की सहमति ही दी जाती है। ऐसी स्थिति में समस्त विभागों से यह सूचना अपेक्षित है कि वह सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम के अतिरिक्त अन्य किस माध्यम से कार्य कराया जा रहा है और उसकी स्वीकृति का आधार क्या है ?

माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 11.8.2016 को दृष्टिगत रख समस्त प्रशासनिक विभागों से अपेक्षित है कि वह अपने अधीनस्थ समस्त विभागों से उनके द्वारा सर्विस प्रोवाईंडर/प्लेसमेंट ऐजन्सी/कान्ट्रेक्टर आदि से ली जा रही सेवाओं के संबंध में संलग्न प्रोफार्मा में वित्तीय वर्ष 2015—16 एवं वर्ष 2016—17 के अप्रेल, 2016 से जुलाई, 2016 तक की सूचना संकलित कर हर परिस्थिति में दिनांक 13.9.2016 तक वित्त विभाग में भिजवाना सुनिश्चित करें।

यह सूचना बजटमद वार अलग अलग तैयार की जाये तथा विभागाध्यक्ष द्वारा उपरोक्तानुसार भेजे जानी वाली सूचना के साथ कार्यालय अध्यक्षों द्वारा भेजी गई सूचना की प्रतियाँ भी संलग्न की जाये।

विभागाध्यक्ष को सूचना प्रेषित करते समय यह स्पष्ट उल्लेख कराना चाहिए कि सेवा प्रदाता/प्लेसमेंट एजेंसी/कान्ट्रेक्टर द्वारा रखे गये कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी का नियमित भुगतान कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रशासनिक विभाग द्वारा भेजी गई सूचना समय पर सूचना नहीं भिजवाने पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना समय पर सुनिश्चित नहीं होने की स्थिति में विभाग स्वयं उत्तरदायी होगा।

इसे सर्वोच्च प्राथिकता दी जाये।

्रिटी १ | १ | 16 (नवीन महाजन) शासन सचिव, वित्त (बजट)

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव क्रमांक प. 9(55) वित्त/नियम/2005 दिनांक: 1 SEP 2016

Information regarding jobwork through Service Providing Agency and engagement of Placement Agency/Contractor for services

1. Jobwork through service providing agency

Financial Year 2015-16

Budget head.....

S. No.	Name of the office	FD's sanction no./date	Expenditure in F.Y. 2015-16	Has service providing agency hired on the basis of prescribed minimum wages Yes/No	If yes, then percentage of service charge/ commission	Remark

Financial Year 2016-17 (April, 2016 - July, 2016)

Budget head.....

S. No.	Name of the office	FD's sanction no./date	Expenditure in F.Y. 2016-17 (upto July, 2016 only)	Has service providing agency been hired on the basis of prescribed minimum wages Yes/No	If yes, then percentage of service charge/ commission	Remark

2. Services through placement agency/contractor

Financial Year 2015-16

Budget head.....

S. No.	Name of the office	FD's sanction no./date	Expenditure in F.Y. 2015-16	Has placement agency hired as per stipulation of percentage commission above prescribed minimum wages Yes/No	If No, then what was the mode of contract condition in tender.	
	Finer	oiol Va	2016 17 (1			

Financial Year 2016-17 (April, 2016 - July, 2016)

Budget head.....

S. No.	Name of the office	FD's sanction no./date	Expenditure in F.Y. 2016-17 (upto July, 2016 only)	Has placement agency hired as per stipulation of percentage commission above prescribed minimum wages Yes/No	If No, then what was the mode of contract condition in tender.	Remark
		N. T.				